



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-983

दिनांक 02/05/2025

जोन- दक्षिणी/गोसाईगंज

- थाना गोसाईगंज, सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) पुलिस टीम की सफलता ।
- मोटरसाईकिल से जा रही महिला के कान के टॉप्स झपट कर हो गये थे फरार ।
- अभियुक्तों की निशानदेही पर छीने गये टॉप्स व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद ।
- 02 नफर शातिर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

थाना गोसाईगंज, सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत महिला के कान के टॉप्स छीनने वाले 1. अर्जुन रावत पुत्र स्व0 रमेश रावत नि0 सल्लाहीमऊ नूरपुर बहटा थाना बीबीडी लखनऊ उम्र करीब – 27 वर्ष 2. उदय राज पुत्र अम्बर लाल निवासी मीसा थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब – 28 वर्ष, व 3. मोहिनी पत्नी स्व0 बलराम निवासी नीलमथा थाना सु0गो0सि0 जनपद लखनऊ उम्र – 35 वर्ष को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक यूपी 32 क्यू.सी. 3814 व महिला से छीना गया टॉप्स भी बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27/04/2025 को वादी श्री आदित्य कुमार रावत पुत्र श्री राजकुमार रावत निवासी राम टोला खरिका, तेलीबाग थाना पीजीआई जनपद लखनऊ अपनी दो पहिया वाहन पर अपनी माता जी को लेकर गोसाईगंज से वापस अपने घर आ रहे थे कि सुल्तानपुर रोड पर ग्राम कबीरपुर के पास पीछे से आ रही अपाचे मोटरसाईकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति वादी की माताजी के बाएँ कान के टॉप्स को झपट कर फरार हो गये ।

वादी की सूचना के आधार पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0-193/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । घटना के सफल अनावरण हेतु तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमे सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी को भी लगाया गया ।

इन टीमों द्वारा लगभग 150 सी0सी0टी0वी0 कैमरों व अन्य टैक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 02.05.2025 को कबीरपुर से पहले इन्दिरा नहर के पास से घटना में संलिप्त दोनों बदमाशों को घटना में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

पीड़िता के लूटे हुए टॉप्स की बरामदगी तथा लूटे हुए माल को इधर उधर करने व बिकवाने वाली महिला मोहिनी पत्नी स्व0 बलिराम निवासी हबीबपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी (अभियुक्त अर्जुन की बहन) को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4)/317(2)/317(5)/61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए सभी मुल्जिमानों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है ।

Modus Operandi-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अर्जुन रावत व उदयर राज नशे के आदी हैं जब इनके पास पैसा नहीं होता है तो ये लोग चोरी व लूट की घटना को अन्जाम देते हैं।

चोरी / लूट का सामान अर्जुन की बहन मोहनी पत्नी स्व० बलराम निवासी हबीबपुर नीलमथा थाना सुशान्त गोलफ सिटी लखनऊ की मदद से ज्वैलर्स की दुकान पर बेच कर पैसा आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। महिला साथ में होने की वजह से कोई इन पर शक नहीं करता।

दिनांक 27.04.2025 को मोहनी की मदद से छीने गये टॉप्स रस्तोगी ज्वैलर्स नीलमथा की दुकान पर 26200/- में बेचे हैं जिसे अभियुक्तगण की निशानदेही पर ज्वैलर्स की दुकान से बरामद किया गया। अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि वे मोहनी के माध्यम से ही चोरी/लूट का सामान भिन्न-भिन्न ज्वैलर्स की दुकान पर बेचते हैं।

ज्वैलर्स से पूछताछ किए जाने पर ज्ञात हुआ दिनांक 27.04.2025 को अर्जुन व उदयर राज व मोहनी पीली धातु एक टॉप्स लेकर के आये थे जिसे उन लोगों झूठ बोलते हुए अपना बोलकर 26200/- में बेचा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01-अर्जुन रावत पुत्र स्व० रमेश रावत नि० सल्लाहीमऊ नूरपुर बहटा थाना बीबीडी लखनऊ उम्र करीब – 27 वर्ष

02-उदय राज पुत्र अम्बर लाल निवासी मीसा थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब – 28 वर्ष

03-मोहनी पत्नी स्व० बलराम निवासी नीलमथा थाना सु०गो०सि० जनपद लखनऊ उम्र –35 वर्ष

अनावरित अपराध:-

01-मु०अ०सं० 193/25 धारा 309(4)/317(2)/317(5)/61(2) बीएनएस थाना गोसाईगंज लखनऊ

बरामदगी:-

1. पीली धातु का एक अदद टप्स (वादिनी की)

2. अपाचे मोटर साइकिल यूपी 32 क्यू.सी. 3814 (लूट की घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास-

A.अर्जुन रावत पुत्र रमेश रावत नि० सल्लाहीमऊ नूरपुर बहटा थाना बीबीडी लखनऊ उम्र करीब – 27 वर्ष

1.मु०अ०सं० 182/2020 धारा 147/323/325/452/504/506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

2. मु०अ०सं० 233/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ

3.मु०अ०सं० 579/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली बाराबंकी

4. मु०अ०सं० 193/25 धारा 309(4)/317(2)/317(5)/61(2) बीएनएस थाना गोसाईगंज लखनऊ

B.उदय राज पुत्र अम्बर लाल निवासी मीसा थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब – 28 वर्ष

1.मु०अ०सं० 193/25 धारा 309(4)/317(2)/317(5)/61(2) बीएनएस थाना गोसाईगंज लखनऊ

C. मोहनी पत्नी स्व० बलराम निवासी नीलमथा थाना सु०गो०सि० जनपद लखनऊ उम्र – 33 वर्ष

1.मु०अ०सं० 193/25 धारा 309(4)/317(2)/317(5)/61(2) बीएनएस थाना गोसाईगंज लखनऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना गोसाईगंज एवं सर्विलांस सेल, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी पुलिस टीम

नोट- घटना का सफल अनावरण/गिरफ्तारी करने वाली टीम को पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 25,000/-रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-984

दिनांक 02/05/2025

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।
- कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

01-घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.04.2025 को वादी मुकदमा श्री राहुल सोनी पुत्र राधे श्याम सोनी निवासी गीता आश्रम अमौसी रोड थाना सरोजनी नगर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-0201/2025 धारा 303(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ, बनाम- अज्ञात चोर, बाबत अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 27.04.2025 समय 11.00 बजे से 13.30 बजे के मध्य कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के बगल थाना कृष्णानगर लखनऊ से वादी मुकदमा की एक अदद मोटरसाइकिल पल्सर रंग काला वाहन नं0 UP 32 LH 1694 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, सीडीआर अवलोकन, ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना में संलिप्त 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

02-मॉड्यूस ऑपरेंडी:-

संरक्षण में लिये गये बाल अपची ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 27.04.2025 को कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के पास से एक अदद पल्सर नं0-UP 32 LH 1694 को चोरी किया था।

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-0201/2025 धारा 303(2) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

04-पुलिस संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी का नाम व पता/व्यवसाय:-

एक नफर बाल अपचारी।

05-बरामदगी-

चोरी की एक अदद मो0सा0 पल्सर नं0-UP 32 LH 1694 बरामद।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 987

दिनांक-02.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना कृष्णानगर

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01.संक्षिप्त विवरण –

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा मा० न्यायालय से निर्गत 01 अदद गैर जमानतीय अधिपत्र वाद सं०- 6751/12 अ०सं० 769/99 धारा 324/392 भादवि० एक्ट थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारन्टी अभियुक्त राजू उर्फ देवेन्द्र पुत्र बेचालाल निवासी – कबीरपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष को आज दिनांक- 02.05.2025 अभियुक्त के निवास स्थान से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

02.गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

01-राजू उर्फ देवेन्द्र पुत्र बेचालाल निवासी – कबीरपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष

03.वाद संख्या/मा०अ०सं० व धारा-

01-वाद सं०-6751/12 अ०सं० 769/99 धारा 324/392 भादवि० एक्ट थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

04.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01- प्र०नि० प्रद्युम्न कुमार सिंह

02- उ०नि० श्रीसुबोध कुमार

03- उ०नि० श्री प्रशान्त शर्मा



पुलिस कमिश्नर लखनऊ

प्रेस नोट सं०- 985

दिनांक- 02.05.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- रेकी कर नकबजनी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त व 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से चोरी की शराब, नगदी व ज्वैलरी तथा घटना में प्रयुक्त दो अदद मोटरसाइकिल बरामद।

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.04.2025 को वादी मुकदमा श्री करमजीत सिंह पुत्र स्व० बलविंदर सिंह निवासी सी 21 सिंधु नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ द्वारा थाना सरोजनीनगर में उपस्थित होकर अपनी गिन्दनखेडा नादरगंज स्थित शराब की दुकान से करीब 30,000/- रु० नगद, एक टीवी और करीब 25,000/- रु० की शराब की चोरी होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल मु०अ०सं० 138/2025 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ०नि० श्री आशीष कुमार को सुपुर्द की गयी।

थाना सरोजनीनगर पर माल मुल्जिमान की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीम गठन कर तलाश की जा रही थी कि आज दिनांक 02.05.2025 को मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 01.दानिश उर्फ अबलू उर्फ टम्बर पुत्र स्व० तजम्मूल निवासी ग्राम रमुआपुर नीमसार थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर हाल पता-एफसीआई गोदाम के पास दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष, 02.इनामुल हक पुत्र इकरामुल हक निवासी एफसीआई गोदाम के पास दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष, 03.अरमान पुत्र नफीस अहमद उर्फ शिराजुद्दीन निवासी ग्राम चांदपुर थाना सिटी कोतवाली जनपद बहराइच हाल पता- काशीराम कालोनी सदरोना थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष, एवं 04- अभियुक्त नीलोफर उर्फ गिट्टा पुत्री स्व० मुन्ना खान निवासिनी एवरेडी चौराहा इमामबाडा थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष को मुकदमा उपरोक्त तथा थाना बन्थरा पर पूर्व में पंजीकृत मु०अ०सं० 140/25 धारा 305ए बीएनएस से सम्बन्धित चोरी किये गये माल व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण—

- 01-दानिश उर्फ अबलू उर्फ टम्बर पुत्र स्व० तजम्मूल निवासी ग्राम रमुआपुर नीमसार थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर हाल पता-एफसीआई गोदाम के पास दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष
- 02-इनामुल हक पुत्र इकरामुल हक निवासी एफसीआई गोदाम के पास दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष।
- 03-अरमान पुत्र नफीस अहमद उर्फ शिराजुद्दीन निवासी ग्राम चांदपुर थाना सिटी कोतवाली जनपद बहराइच हाल पता- काशीराम कालोनी सदरोना थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष।
- 04-नीलोफर उर्फ गिट्टा पुत्री स्व० मुन्ना खान निवासिनी एवरेडी चौराहा इमामबाडा थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष।

03-अनावरित अभियोग का विवरण –

1. मु०अ०सं० 138/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना सरोजनीनगर लखनऊ।
2. मु०अ०सं० 140/25 धारा 305ए बीएनएस थाना बन्थरा लखनऊ।

04-अभियुक्त दानिश उर्फ अबलू उर्फ टम्बर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 214/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना तालकटोरा लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 207/20 धारा 380/411 भादवि0 थाना बाजारखाला लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 16/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना तालकटोरा लखनऊ।

05-अभियुक्त इनामुलहक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास- -

1. मु0अ0सं0 61/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना तालकटोरा लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 05/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 61/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना तालकटोरा लखनऊ।

06-अभियुक्त अरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 165/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।
2. मु0अ0सं0 430/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।
3. मु0अ0सं0 471/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।
4. मु0अ0सं0 629/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।
5. मु0अ0सं0 655/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।
6. मु0अ0सं0 198/23 धारा 392 भादवि0 थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
7. मु0अ0सं0 222/23 धारा 120बी/41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि0 थाना दरगाह शरीफ बहराइच।
8. मु0अ0सं0 355/23 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

07-नीलोफर उर्फ गिट्टा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 05/24 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 506/23 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 525/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 613/24 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 02/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना तालकटोरा लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 03/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना तालकटोरा लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 22/23 धारा 380/411 भादवि0 थाना तालकटोरा लखनऊ।
8. मु0अ0सं0 04/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना बाजारखाला लखनऊ।
9. मु0अ0सं0 90/20 धारा 427/504/506 भादवि0 थाना बाजारखाला लखनऊ।
10. मु0अ0सं0 205/24 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना बाजारखाला लखनऊ।
11. मु0अ0सं0 380/18 धारा 147/323/427/452/504/506 भादवि0 थाना बाजारखाला लखनऊ।
12. मु0अ0सं0 02/24 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना सादतगंज लखनऊ।

08- बरामदगी का विवरण -

- 24 अदद कैन बीयर व 05 अदद बोतल विदेशी मदिरा-चोरी की
- 5,570/- रूपये नकदी
- 02 जोड़ी सफेद धातु की पायल
- 02 अदद अपाचे मोटरसाइकिल वाहन सं0 UP40BC7094 व वाहन सं0 UP40BF9068 घटना में प्रयुक्त।

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम, कमिश्नेट, लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-983

दिनांक 02/05/2025

जोन- दक्षिणी/गोसाईगंज

- थाना गोसाईगंज, सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) पुलिस टीम की सफलता ।
- मोटरसाईकिल से जा रही महिला के कान के टॉप्स झपट कर हो गये थे फरार ।
- अभियुक्तों की निशानदेही पर छीने गये टॉप्स व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद ।
- 02 नफर शातिर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

थाना गोसाईगंज, सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत महिला के कान के टॉप्स छीने वाले 1. अर्जुन रावत पुत्र स्व0 रमेश रावत नि0 सल्लाहीमऊ नूरपुर बहटा थाना बीबीडी लखनऊ उम्र करीब – 27 वर्ष 2. उदय राज पुत्र अम्बर लाल निवासी मीसा थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब – 28 वर्ष, व 3. मोहिनी पत्नी स्व0 बलराम निवासी नीलमथा थाना सु0गो0सि0 जनपद लखनऊ उम्र – 35 वर्ष को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक यूपी 32 क्यू.सी. 3814 व महिला से छीना गया टॉप्स भी बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27/04/2025 को वादी श्री आदित्य कुमार रावत पुत्र श्री राजकुमार रावत निवासी राम टोला खरिका, तेलीबाग थाना पीजीआई जनपद लखनऊ अपनी दो पहिया वाहन पर अपनी माता जी को लेकर गोसाईगंज से वापस अपने घर आ रहे थे कि सुल्तानपुर रोड पर ग्राम कबीरपुर के पास पीछे से आ रही अपाचे मोटरसाईकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति वादी की माताजी के बाएँ कान के टॉप्स को झपट कर फरार हो गये ।

वादी की सूचना के आधार पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0-193/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । घटना के सफल अनावरण हेतु तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमे सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी को भी लगाया गया ।

इन टीमों द्वारा लगभग 150 सी0सी0टी0वी0 कैमरों व अन्य टैक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 02.05.2025 को कबीरपुर से पहले इन्दिरा नहर के पास से घटना में संलिप्त दोनों बदमाशों को घटना में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

पीड़िता के लूटे हुए टॉप्स की बरामदगी तथा लूटे हुए माल को इधर उधर करने व बिकवाने वाली महिला मोहिनी पत्नी स्व0 बलराम निवासी हबीबपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी (अभियुक्त अर्जुन की बहन) को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4)/317(2)/317(5)/61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए सभी मुल्जिमानों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है ।

